उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 192/कार्मिक–2/2002
देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तरांचल के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली के उपबन्ध "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गये सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(च) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(छ) "धारणाधिकार" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार या हक से है;

(ज) "विहित" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा, विहित से है;

(झ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो।

स्थायीकरण जहां आवश्यक है

4. (1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा :—

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो;

(दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किए गये कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन;

(तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण—इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए, या किसी पद पर, जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाए तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है

5. (1) स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा, यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गए, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते।

(3) जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर कि सरकारी सेवक, उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।

(4) जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहां नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय।

दृष्टान्त—(1) "लेखपाल सेवा नियमावली" में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत सीधी भर्ती है। "क" लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। "क" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा।

(2) "ख" तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982, के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ख" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले पद पर स्थायी करना होगा।

(3) "ग" को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और "घ" को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस ऑफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरिगेशन ब्रान्च) रूल्स, 1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ग" और "घ" दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोतों में से सीधी भर्ती एक स्रोत है।

(4) "ङ" सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ङ" को पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एकमात्र स्रोत प्रोन्नति है।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात् उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है। "च" एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आएगा और "च" को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय सेना नियमावली, 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियम इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

6. ये नियम वहां लागू नहीं होंगे जहां नियुक्तियां उन नियम अधिष्ठानों के पदों पर की जाएं, जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हों, जैसे कि समितियां, जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद। — वे पद जिन पर ये लागू नहीं होंगे

7. ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया गया हो या जहां परिवीक्षा विहित नहीं है। वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो, यथास्थिति, यह समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है। — धारणाधिकार रखने का अधिकार

8. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो। — व्यावृत्ति

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 192/Karmic-2/2002, dated August 13, 2002.

No. 192/Karmic-2/2002
Dated Dehradun, August 13, 2002

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules:--